UPHR010073212019

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, हरदोई (उत्तर प्रदेश)

उपस्थित:– रीता कौशिक (उच्चतर न्यायिक सेवा)

J.O.Code– UP 5728

Sessions Trial No.	393/2019
C.N.R NO.	UPHR010073212019
Registered on	23.12.2019
Decided on	31.03.2026

स्टेट आफ यू०पी०----------------------अभियोजन पक्ष।

विरूद्ध

1– नरेश पुत्र रामभजन

2–राज किशोर उर्फ सोनू पुत्र नरेश

3– श्रीमती निर्मला पत्नी नरेश

सर्वनिवासीगण–ग्राम सम्भरपुरवा थाना कोतवाली शहर जनपद हरदोई।

----------------------------------अभियुक्तगण

मुकदमा अपराध सं०	579/2019
अंतर्गत धारा	498 ए, 304 बी भा०दं०सं० व विकल्प में धारा–302 सपठित धारा–34 भा०दं०सं० व धारा–4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम
थाना व जिला	थाना कोतवाली शहर, जिला हरदोई
राज्य की ओर से	श्री चन्दन कुमार सिंह, एडवोकेट सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक)
अभियुक्त की ओर से	श्री यादवेन्द्र सिंह यादव, एडवोकेट

निर्णय

01– पुलिस थाना कोतवाली शहर जनपद हरदोई द्वारा मुकदमा अपराध संख्या–579/2019 अन्तर्गत धारा–498 ए, 304 बी भा०दं०सं० व धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में प्रेषित आरोपपत्र के आधार पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदोई द्वारा अभियुक्तगण

नरेश, राज किशोर उर्फ सोनू एवं श्रीमती निर्मला के विरूद्ध विचारण हेतु प्रकरण सत्र

Digitally signed by REETA KAUSHIK
Date: 2026.03.31 17:00:44 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

न्यायालय को सुपुर्द किये जाने के उपरान्त सत्र परीक्षण संख्या–393/2019 में अभियुक्तगण नरेश, राज किशोर उर्फ सोनू एवं श्रीमती निर्मला का अन्तर्गत धारा–498 ए, 304 बी भा०दं०सं० व विकल्प में धारा–302 सपठित धारा–34 भा०दं०सं० व धारा–4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में आरोपित कर विचारण किया गया।

02– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 28.08.2019 को वादी मुकदमा धनीराम की ओर से एक लिखित सूचना थाना कोतवाली शहर जिला हरदोई में इस आशय की प्रस्तुत की गयी कि वादी मुकदमा की लड़की पूजा उम्र 23 वर्ष का विवाह सोनू के साथ दिनांक 15.06.2019 को हिन्दू रीति रिवाज से हुआ था। वादी मुकदमा ने शादी में यथासंभव दहेज दिया था, लेकिन मोटरसाइकिल की मांग विपक्षीगण कर रहे थे। उसने एक माह में देने का वादा किया था, लेकिन पैसे की कमी के कारण नहीं दे सका। कई बार विपक्षीगण ने मोटरसाइकिल का तकाजा किया, लेकिन वादी समझा बुझाकर शांत कर देता था। उसके बाद से विपक्षीगण ने उसकी लड़की पूजा को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। लड़की फोन से बराबर अपने मां बाप से शिकायत करती थी। लड़की को सभी विपक्षीगण मारपीट करते थे। आज सबेरे 6.30 बजे उसके पास एक लड़की बब्ली पुत्री रामशरण ने फोन से बताया कि पूजा की हत्या ससुराल में कर दी गयी है, तुरन्त जाकर पता करो। तब वादी ग्राम सम्भरपुरवा गया तो बात सच थी। वह थाना कोतवाली गया। जहां सूचना पर प्रार्थनापत्र दे रहा है।

03– वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर जिला हरदोई में दिनांक 28.08.2019 को मुकदमा अपराध संख्या–579/2019 धारा– 498 ए, 304 बी भा०दं०सं० व धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में अभियुक्तगण सोनू, नरेश, सास पत्नी नरेश एवं अंकित के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गयी।

04– विवेचना के अनुक्रम में विवेचक द्वारा वादी मुकदमा एवं अन्य गवाहान के बयान अंकित किए गए। घटना स्थल का नक्शा नजरी प्रदर्श क–06 तैयार किया गया। विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलित कर प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर अभियुक्तागण नरेश, राज किशोर उर्फ सोनू एवं श्रीमती निर्मला के विरूद्ध धारा–498 ए, 304 बी भा०दं०सं० व धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अपराध में विचारण हेतु आरोप पत्र प्रदर्श क–05 न्यायालय में प्रेषित किया गया।

05– आरोपपत्र प्राप्त होने पर तत्कालीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदोई द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया। धारा–207 दं०प्र०सं० के प्राविधान का अनुपालन करने के उपरान्त प्रकरण अनन्य रूप से सत्र परीक्षणीय होने के कारण सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया।

06– मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा दिनांक 21.01.2020 को अभियुक्तगण नरेश, राज किशोर उर्फ सोनू एवं श्रीमती निर्मला के विरूद्ध धारा–498 ए, 304 बी भा०दं०सं० व विकल्प में धारा–302 सपठित धारा–34 भा०दं०सं० व धारा–4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के आरोप में प्रथम दृष्टया विचारण हेतु मामला पाते हुए आरोप विरचित किया गया।

अभियुक्तगण द्वारा जुर्म से इन्कार करके परीक्षण की माँग की गयी तब न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्ष्य हेतु तिथि नियत की गयी।

07– अभियोजन पक्ष की ओर से अपने मामले को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य पी०डब्लू०–01 लगायत 08 को परीक्षित कराया गया, जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

अभियोजन साक्षी संख्या	**नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति**
पी०डब्लू०–01	धनीराम	वादी मुकदमा (मृतका का पिता)
पी०डब्लू०–02	मंगरे	मृतका का भाई
पी०डब्लू०–03	रामशरन	शादी का मध्यस्थ
पी०डब्लू०–04	रामेन्द्र कुमार	शादी कराने वाला पण्डित
पी०डब्लू०–05	जय नरायन	पंचायतनामे का साक्षी
पी०डब्लू०–06	सुधा	मृतका की बहन
पी०डब्लू०–07	दिनेश	मृतका का चाचा
पी०डब्लू०–08	डा० अमित कुमार	पोस्टमार्टमकर्ता

08– अभियोजन की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य के संबंध में निम्न प्रपत्र प्रस्तुत किए गए हैं :–

<u>अभियोजन की प्रदर्श सूची</u>

क्रम संख्या	**प्रदर्श**	**दस्तावेज का विवरण**	**साबित करने वाले साक्षी का नाम**
1	प्रदर्श क–1	तहरीर	पी०डब्लू०–01 वादी मुकदमा
2	प्रदर्श क–2	शव विच्छेदन आख्या	पी०डब्लू०–08 डॉ० अमित कुमार
3	प्रदर्श क–3	चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट	अभियोजन की ओर से औपचारिक सत्यता स्वीकार की गयी।
4	प्रदर्श क–4	कायमी जी०डी०	
5	प्रदर्श क–5	आरोपपत्र	
6	प्रदर्श क–6	नक्शा नजरी	
7	प्रदर्श क–7	पंचायतनामा	
8	प्रदर्श क–8	चिट्ठी सी०एम०ओ०	
9	प्रदर्श क–9	चिट्ठी प्रतिसार निरीक्षक	
10	प्रदर्श क–10	चालान लाश	
11	प्रदर्श क–10A	चालान लाश	
12	प्रदर्श क–11	फोटो लाश	
13	प्रदर्श क–12	नमूना मोहर	

09– अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–03, कायमी मुकदमा जी०डी० प्रदर्श क–4, आरोपपत्र प्रदर्श क–5, नक्शा नजरी प्रदर्श क–6, पंचायतनामा प्रदर्श क–7, चिट्ठी सी०एम०ओ० प्रदर्श क–8, चिट्ठी प्रतिसार निरीक्षक प्रदर्श क–9, चालान लाश प्रदर्श क–10 व प्रदर्श क–10 ए, फोटो लाश प्रदर्श क–11 एवं नमूना मोहर प्रदर्श क–12 की औपचारिक सत्यता स्वीकार की गयी है।

10– अभियुक्तगण का बयान अंतर्गत धारा–313 दं०प्र०सं० अंकित किया गया, जिसमें उन्होंने अभियोजन कथानक को गलत बताया, साक्षीगण के बयान के संबंध में कहा कि कुछ नहीं कहना, प्रपत्रों की औपचारिक सत्यता के संबंध में कुछ नहीं कहा है, अपने विरूद्ध मुकदमा पुरानी रंजिश के कारण चलना कहा तथा सफाई में साक्ष्य देने की बात कही गयी, किन्तु सफाई में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

11– विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक 28.08.2019 के पूर्व समय–समय पर स्थान मकान प्रतिवादी सम्भरपुरवा थाना कोतवाली शहर जिला हरदोई में अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा धनीराम की पुत्री पूजा, जिसकी शादी दिनांक 15.06.2019 को अभियुक्त राजकिशोर उर्फ सोनू के साथ हुई थी, से अतिरिक्त दहेज में मोटरसाइकिल की मांग की। उक्त अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर अभियुक्तगण मृतका को प्रताड़ित कर उसके साथ क्रूरता कारित की और फाँसी से लटकाकर उसकी मृत्यु कारित की है। वादी मुकदमा की पुत्री पूजा की मृत्यु असामान्य परिस्थितियों में उसके विवाह के सात वर्ष के अन्दर हुई है। साक्षी पी०डब्लू०–01 वादी मुकदमा धनीराम द्वारा अपने बयान में तहरीर प्रदर्श क–01 को साबित किया गया है एवं बचाव पक्ष की ओर से अभियोजन के शेष प्रपत्रों चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–03, कायमी मुकदमा जी०डी० प्रदर्श क–4, आरोपपत्र प्रदर्श क–5, नक्शा नजरी प्रदर्श क–6, पंचायतनामा प्रदर्श क–7, चिट्ठी सी०एम०ओ० प्रदर्श क–8, चिट्ठी प्रतिसार निरीक्षक प्रदर्श क–9, चालान लाश प्रदर्श क–10 व प्रदर्श क–10 ए, फोटो लाश प्रदर्श क–11 एवं नमूना मोहर प्रदर्श क–12 की औपचारिक सत्यता को स्वीकार किया गया है। जिससे अभियोजन कथानक का समर्थन होता है। यद्यपि अभियोजन के तथ्य के साक्षीगण पी०डब्लू०–01 ता पी०डब्लू०–06 ने अपने बयान में अभियोजन कथानक का पूर्णतया समर्थन नहीं किया है, किन्तु उनके साक्ष्य के उस भाग पर विश्वास किया जा सकता है, जो अभियोजन के कथानक को समर्थित करता हो। पत्रावली पर अभियुक्तगण की दोषसिद्धि हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किए जाने की याचना की गयी है।

12– बचाव पक्ष की ओर से, विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि मृतका पूजा शादी के पहले से ही पेट दर्द से परेशान रहती थी। उसका इलाज वादी मुकदमा द्वारा कराया जाता रहा था। शादी के बाद भी उसके पेट में भयंकर दर्द होता था। मृतका के ससुरालवालों ने मृतका को डाक्टर को दिखाया था। डाक्टर ने मृतका पूजा की बच्चेदानी में

खराबी बतायी थी। बच्चेदनी की खराबी व पेट दर्द से परेशान होने के कारण मानसिक तनाव व उलझन में मृतका ने स्वयं फांसी लगाकर आत्म हत्या कारित कर ली। इसमें अभियुक्तगण का कोई दोष नहीं है। उन्होंने मृतका व उसके परिवारीजन से कभी कोई दहेज की मांग नहीं की न ही कभी प्रताड़ित किया। अभियोजन की ओर से परीक्षित तथ्य के साक्षीगण पी०डब्लू०–01 लगायत पी०डब्लू०–07 ने अपने बयान में अभियोजन कथानक का बिल्कुल समर्थन नहीं किया है और वे पक्षद्रोही घोषित हो गए हैं। इस प्रकार पत्रावली पर अभियोजन द्वारा प्रस्तुत की गई साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध किसी भी दृष्टिकोण से साबित नहीं है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध से दोषमुक्त किये जाने की याचना की गयी है।

13– मैंने अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) तथा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को विस्तार पूर्वक सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्यों का सम्यक रूप से परिशीलन किया।

14– अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप है कि दिनांक 28.08.2019 के पूर्व समय–समय पर स्थान मकान प्रतिवादी सम्भरपुरवा थाना कोतवाली शहर जिला हरदोई में अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा धनीराम की पुत्री पूजा, जिसकी शादी दिनांक 15.06.2019 को अभियुक्त राजकिशोर उर्फ सोनू के साथ हुई थी, से अतिरिक्त दहेज मोटरसाइकिल की मांग की। उक्त अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर अभियुक्तगण ने मृतका को प्रताड़ित कर उसके साथ क्रूरता कारित की। वादी मुकदमा की पुत्री पूजा की मृत्यु असामान्य परिस्थितियों में उसके विवाह के सात वर्ष के अन्दर फांसी पर लटकने से हुई है और शादी के पश्चात तथा मृत्यु के ठीक पूर्व अभियुक्तगण ने अतिरिक्त दहेज की मांग की थी तथा फाँसी पर लटकाकर उसकी हत्या कारित की।

15– उक्त आरोप को संदेह से परे साबित करने का भार अभियोजन पर है।

16– अभियोजन की ओर से अपने कथनों के समर्थन में परीक्षित साक्षीगण में **साक्षी पी0 डब्लू0–1 धनीराम** जोकि मृतका का पिता है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया कि मैंने अपनी पुत्री की शादी मुल्जिम सोनू के साथ की थी। मेरी पुत्री का नाम पूजा था। शादी जून 2019 में की थी। शादी में कोई दान दहेज तय नहीं हुआ था। मैंने उपहार स्वरूप अपनी पुत्री को घरेलू सामान दिया था। शादी के बाद मेरे दामाद राज किशोर उर्फ सोनू व उसके पिता नरेश व नरेश की पत्नी निर्मला ने अतिरिक्त दहेज में मोटरसाइकिल की मांग करते हुए मेरी पुत्री पूजा के साथ मारपीट नहीं की थी और न ही इन लोगों ने दहेज के लिए पूजा को मारपीट कर प्रताड़ित व परेशान ही किया। पूजा शादी के पहले से ही पेट दर्द से परेशान रहती थी। उसका इलाज मैंने करवाया था। शादी के बाद भी उसके पेट में भंयकर दर्द होता था। उसकी ससुराल वालों ने डाक्टर को दिखाया था। डाक्टर ने पूजा की बच्चेदानी में खराबी बतायी थी। बच्चेदानी की खराबी व पेट र्दद से परेशन होने के कारण मानसिक तनाव व उलझन में मेरी पुत्री पूजा ने आज से लभग पांच महीना पहले अपनी ससुराल में स्वयं फांसी लगाकर आत्म हत्या कर ली थी। जिसकी सूचना मेरे दामाद राज किशोर व सोनू ने

मुझे फोन से दी थी। मेरी पुत्री के ससुर सास व पति ने अतिरिक्त दहेज में मोटरसाइकिल की मांग नहीं की है और न ही मेरी पुत्री पूजा की इन लोगों ने हत्या ही की है। दामाद द्वारा फोन से सूचना पाकर मैं पुत्री की ससुराल ग्राम सम्भरपुरवा गया था। मेरे साथ मेरे परिवार व गांव के तथा रिश्तेदारी के लोग गए थे। इन्हीं लोगों ने एक तहरीर टाइपवालों से टाइप करवाई थी व उस पर मेरा नि०अं० लगवा लिया था। तहरीर कागज सं० 3A/4 गवाह को पढ़कर सुनवाई व दिखायी गयी तो उसने कहा मैंने इस प्रकार की तहरीर नहीं लिखायी थी। तहरीर पर मेरा अंगूठा बना है। इस साक्षी ने अपने बयान में तहरीर के प्रदर्श क–1 के रूप में साबित किया है।

17– **साक्षी पी0 डब्लू0–2 मंगरे,** जोकि मृतका का भाई है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मेरी बहन पूजा की शादी जून, 2019 में सोनू उर्फ राजकिशोर के साथ बिना दान–दहेज के हुयी थी। कोई दहेज तय नहीं हुआ था। मेरे पिता ने घरेलू सामान उपहार स्वरूप मेरी बहन को दिया था। मुल्जिम नरेश, निर्मला देवी व राजकिशोर उर्फ सोनू ने अतिरिक्त दहेज में मोटरसिाकिल की माँग नहीं की थी और न ही मुल्जिमान ने दहेज के लिये मेरी बहन को प्रताड़ित व परेशान ही किया। पूजा के पेट में भयंकर दर्द हुआ करता था। डॉक्टर ने उसके पेट में कोई खराबी बतायी थी और यह बताया था कि उसको बच्चे पैदा करने में दिक्कत होगी। इस कारण पूजा मानसिक तनाव व उलझन तथा अवसाद में थी और इसी परेशानी व बीमारी के कारण उसने स्वयं फाँसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। राजकिशोर उर्फ सोनू, नरेश तथा निर्मला देवी ने मेरी बहन पूजा को मारपीटकर प्रताड़ित व परेशान किया और न ही उसकी हत्या की।

18– **साक्षी पी0 डब्लू0–3 रामसरन** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मैंने अपने गाँव के धनीराम की लड़की पूजा की शादी राजकिशोर उर्फ सोनू के साथ बिना दान–दहेज के करवाया थी। मैं शादी का मध्यस्थ था। राजकिशोर उर्फ सोनू, नरेश तथा निर्मला ने अतिरिक्त दहेज में मोटरसाइकिल की माँग नहीं की और न ही मोटरसाइकिल के लिये उपरोक्त मुल्जिमान ने पूजा को प्रताड़ित व परेशान ही किया और न ही पूजा की हत्या ही की। पूजा के कोई संतान पैदा नहीं हुयी थी। डॉक्टर ने पूजा को पेट में कोई परेशान बतायी थी और बच्चे न पैदा करने की सलाह दी थी। इसी वजह से मानसिक तनाव व उलझन से पूजा ने स्वयं फाँसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी।

19– **साक्षी पी0 डब्लू0–4 रामेन्द्र कुमार** ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि मैं पूजा–पाठ व शादी कराने का कार्य करता हूँ। दिनांक 15.06.2019 को धनीराम की पुत्री पूजा की शादी सोनू, निवासी सम्भरपुरवा थाना कोतवाली शहर के साथ करायी थी। सोनू को राजकिशोर भी कहते है। दोनों पक्षों के मध्य कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। शादी हंसी खुशी से हुई थी। सी०ओ० साहब ने मेरा बयान लिया था।

20– **साक्षी पी0 डब्लू0–5 जय नरायन** ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि धनीराम मेरे गाँव में रहते है। दिनांक 28.08.2019 को धनीराम मेरे पास आए थे और बताया

था कि उनकी लड़की पूजा की मृत्यु संभरपुरवा गांव में उसकी ससुराल में हो गयी है। मैं धनीराम के साथ में गया था। पुलिसवालों ने पूजा की लाश का पंचायतनमा भरा था। लाश सील करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवायी गयी थी। पंचायतनामा पर मैंने दस्तखत बनाए थे। गवाह ने पंचायतनामा पर बने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की। मैं जब पहुँचा तब लाश पूजा की ससुराल में उसके कमरे में लटकी हुयी मिली थी। मैंने सी०ओ० साहब को यहीं बयान दिया था।

21– **साक्षी पी0 डब्लू0–6 सुधा,** मृतका की बहन है, उसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मेरी छोटी बहन पूजा की शादी सन, 2019 में मुल्जिम राजकिशोर उर्फ सोनू के साथ बिना दान–दहेज के हुयी थी। उपरोक्त मुल्जिमान ने दहेज में मोटरसाइकिल की माँग शादी के समय नहीं की थी न ही दहेज की माँग शादी के बाद की थी। मेरी बहन के पति व सास–ससुर ने दहेज के लिये उसको मारपीट, प्रताड़ित व परेशान नहीं किया। पूजा के पेट में दर्द शादी के पहले से होता था। शादी के बाद में पेट में दर्द होता रहा। ज्यादा दर्द होने से परेशान होकर पूजा ने स्वयं फाँसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसका इलाज करवाया गया था। डॉक्टर ने उसके बच्चेदानी में खराबी बतायी थी जिससे वह काफी तनाव में रहती थी इसलिए उसने स्वयं आत्महत्या कर ली थी।

22– **साक्षी पी0 डब्लू0–7 दिनेश,** मृतका का चाचा है, इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मेरी भतीजी पूजा की शादी राजकिशोर उर्फ सोनू के साथ सन 2019 में बिना दान–दहेज के हुयी थी। कोई दहेज तय नहीं हुआ था। राजकिशोर उर्फ सोनू व उसके माता–पिता ने अतिरिक्त दहेज में मोटरसाइकिल की माँग नहीं की थी और न ही मुल्जिमान ने पूजा को मारपीटकर प्रताड़ित व परेशान ही किया। पूजा पेट दर्द से परेशान रहती थी। उसका इलाज कराया गया था। डॉक्टर ने उसके बच्चेदानी में कोई खराबी बतायी थी। इसी वजह से पूजा ने स्वयं फाँसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मुल्जिमान ने पूजा की हत्या नहीं की थी।

23– **साक्षी पी0 डब्लू0–8 डॉ० अमित कुमार** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मेरी ड्यूटी दिनांक 28.08.2019 को शव–विच्छेदन गृह हरदोई में नियत थी। उस दिन ग्यारह पुलिस प्रपत्रों सहित एक शील सर्व मोहर शव थाना कोतवाली शहर के कां० होरीलाल व महिला कां० सुमन यादव द्वारा 03.50 pm पर मेरे समक्ष लाया गया था एवं शिनाख्त की गयी थी। मृतका का शव–विच्छेदन उसी दिन 03.55 pm से प्रारम्भ करके 04.30 pm पर डॉ० श्याम सिंह की मौजूदगी पर समाप्त किया गया था। पी०एम० स्टेनिंग पीठ व लोअर नितम्ब (निचले अंगों) पर मौजूद थी। मृत्यु पश्चात अकड़न ऊपरी हिस्से में मौजूद थी और निचले हिस्से में आ रही थी।

<u>मृत्यु पूर्व आयी चोटें</u> :–

1. An oblique ligature mark 28cm x 2.5cm present all around the neck above thyroid cartilage in front of neck passing obliquely upwards and backwards along the line of mandible and it is interrupted by 2cm posterolateral aspect of left side of neck. Ligature mark situated 3cm below

left ear and 6cm below right ear. Base of groove underneath ligature mark is yellow in hard and parchment like.

On opening subcutaneous tissue underneath the ligature mark are white, hard and glistening dry stain of saliva mark present on right angle of mouth.

2. Contusion 2cm x 2.5cm present on left leg 5cm below left knee joint.

3. Contusion 2cm x 1.5cm present on left leg 3cm below injury no. 2.

4. Contusion 3cm x 2.5cm present on front of abdomen 3cm lateral to umbilicus.

5. Contusion 3cm x 2.5cm present on right leg 6cm below right knee joint.

<u>आन्तरिक परीक्षण</u>:–

मस्तिष्क की झिल्लियां तथा मस्तिष्क कंजेस्टेड था। मस्तिष्क का वजन 1300gm था। प्ल्यूरा कंजेस्टेड था। दोनों फेफड़ें कंजेस्टेड थे तथा दाहिने फेफड़ें का वजन 380 ग्राम व बाएं का 350 ग्राम था। हृदय का बायां चैम्बर खाली व दाहिना भरा हुआ था। हृदय का वजन 190 ग्राम था। आमाशय में 60 एम०एल० लुगदीनुमा भोज्य पदार्थ मौजूद था। छोटी आंत में पचा हुआ भोज्य पदार्थ व गैस एवं बड़ी आंत में मल पदार्थ एवं गैस मौजूद थी। यकृत मय पित्तासय सहित वन 1150 ग्राम व कंजेस्टेड था। प्लीहा 80 ग्राम एवं कंजेस्टेड थी। पित्तासय आधा भरा हुआ था। अग्नाशय तथा दोनों गुर्दे कंजेस्टेड थे। मृत्यु का संभावित समय शव विच्छेदन से लगभग अदा दिन का था। मृत्यु का तत्कालिक श्वासावरोध (Asphyxia) था, जो Antimortem hanging के कारण था। गर्भाशय में कोई भ्रूण नहीं पाया गया थज्ञ। मृतका के शरीर पर आयी चोटें मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी। इस साक्षी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को प्रदर्श क–02 के रूप में साबित किया है।

24– उपरोक्त साक्ष्य के आधार पर अभियोजन का यह तर्क है कि मृतका की मृत्यु अभियुक्तगण के घर में फांसी पर लटकने से हुई है। उसकी मृत्यु विवाह के सात वर्ष में असामान्य परिस्थितियों में हुई है तथा उसके शरीर पर मृत्यु पूर्व की उपहति पायी गयी है। अभियोजन साक्ष्य से यह साबित है कि मृत्यु से पूर्व वादी मुकदमा की पुत्री को दहेज के लिए मारपीटकर प्रताड़ित किया जाता था। जबकि बचाव पक्ष का तर्क है कि उपलब्ध साक्ष्य से घटना साबित नहीं होती है। मृतका के मायके पक्ष के किसी भी गवाह ने घटना का समर्थन नहीं किया है।

25– धारा 304 बी भा०दं०सं० के अंतर्गत अपराध के लिए मुख्य तत्व यह हैं कि–

1–विवाहिता की मृत्यु विवाह के सात वर्ष के भीतर हुई हो।

2–मृत्यु से कुछ पूर्व या शीघ्र पहले विवाहिता के साथ उसके पति या पति के नातेदारों द्वारा क्रूरता या प्रताड़ना का व्यवहार किया गया हो।

3– क्रूरता अथवा प्रताड़ना दहेज की मांग के संबध में की गयी हो।

4–विवाहिता की मृत्यु जलने से अथवा चोटों के कारण अथवा सामान्य परिस्थितियों से भिन्न परिस्थितियों में हुई हो।

26– भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी के अंतर्गत यह प्रावधानित है कि यदि यह प्रश्न उठता है कि कि किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री की दहेज मृत्यु कारित की है अथवा नहीं और यह प्रदर्शित किया जाता है कि मृत्यु के कुछ पूर्व तक उस महिला के साथ में व्यक्ति के द्वारा किसी दहेज की मांग के लिए क्रूरता अथवा प्रताड़ना की गयी हो तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज मृत्यु कारित की है। दहेज मृत्यु का अर्थ वही है, जैसा कि धारा 304 बी भा०दं०सं० में दिया गया है। वास्तव में धारा 113 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत की जाने वाली उपधारणा तभी की जा सकती है, जब धारा 304 बी भा०दं०सं० के तथ्य साबित होते हों।

27– सर्वप्रथम विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या मृतका की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर हुई है।

28– तहरीर प्रदर्श क–01 के अनुसार मृतका का विवाह सोनू के साथ दिनांक 15.06.2019 को हुआ था तथा मृतका की मृत्यु दिनांक 18.08.2019 को हुई है। पी०डब्लू०–01 मृतका के पिता हैं, पी०डब्लू०–02 मृतका के भाई हैं एवं पी०डब्लू०–04, जिसके द्वारा मृतका की शादी अभियुक्त सोनू उर्फ राज किशोर के साथ करवाना कहा गया है, पी०डब्लू०–06 मृतका की बड़ी बहन। पी०डब्लू०–07 दिनेश मृतका का चाचा है। इन साक्षीगण ने अपने साक्ष्य में बताया है कि अभियुक्त सोनू की शादी मृतका के साथ जून 2019 में संपन्न हुई थी। इस बिन्दु पर साक्षीगण से कोई प्रतिपरीक्षा नहीं की गयी है, जिसका अभिप्राय यह होता है कि मृतका की शादी दिनांक 15.06. 2019 को होना साबित है। इन साक्षीगण के कथन एवं चिकित्सक पी०डब्लू०–08 के साक्ष्य तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह भी साबित है कि मृतका की मृत्यु दिनांक 18.08.2019 को अर्थात उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर हुई है।

29– द्वितीय विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या मृतका से अभियुक्तगण द्वारा दहेज की मांग की गयी एवं इस मांग को लेकर उसे प्रताड़ित किया गया एवं दहेज की उक्त मांग एवं प्रताड़ना उसकी मृत्यु से कुछ समय पूर्व तक जारी रही ? तहरीर प्रदर्श क–01 में वादी मुकदमा द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि वादी ने अपनी लड़की पूजा की शादी सोनू के साथ दिनांक 15.06.2019 को हिन्दू रीति रिवाज से की थी । शादी में यथासंभव दहेज दिया था, लेकिन मोटरसाइकिल की मांग विपक्षीगण कर रहे थे। प्रार्थी ने एक माह में देने का वायदा किया था, लेकिन पैसा की कमी के कारण नहीं दे सका। कई बार विपक्षीगण ने मोटरसाइकिल का तकाजा किया। उसके बाद से विपक्षीगण ने प्रार्थी की लड़की पूजा को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। लड़की को सभी विपक्षीगण मारते पीटते थे। बतौर पी०डब्लू०–01 वादी मुकदमा द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कहा गया है कि मैंने अपनी पुत्री की शादी मुल्जिम सोनू के साथ जून 2019 में की थी। शादी में कोई दान दहेज तय नहीं हुआ था। शादी के बाद मेरे दामाद राजकिशोर उर्फ सोनू, उसके पिता

नरेश व नरेश की पत्नी निर्मला ने अतिरिक्त दहेज में मोटरसाइकिल की मांग करते हुए मेरी पुत्री पूजा के साथ मारपीट नहीं की और न ही इन लोगों ने दहेज के लिए पूजा को मारपीटकर प्रताड़ित अथवा परेशान किया। पूजा शादी के पहले से ही पेट दर्द से परेशान रहती थी। उसका इलाज मैंने करवाया था। शादी के बाद भी उसके पेट में भंयकर दर्द होता था। उसकी ससुराल वालों ने डाक्टर को दिखाया था। डाक्टर ने पूजा की बच्चेदानी में खराबी बतायी थी। मेरी पुत्री के पति, सास व ससुर ने अतिरिक्त दहेज में मोटरसाइकिल की मांग नहीं की। तहरीर प्रदर्श क–01 के संबंध में साक्षी द्वारा कहा गया कि मेरे साथ मेरे परिवार व गांव के तथा रिश्तेदारी के लोग गए थे। इन्हीं लोगों ने एक तहरीर टाइपवालों से टाइप करवाई थी व उस पर मेरा नि०अं० लगवा लिया था। अभियोजन द्वारा तहरीर सुनाई गयी तो साक्षी ने कहा कि मैंने इस प्रकार की तहरीर नहीं लिखाई थी। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया एवं साक्षी से प्रतिपरीक्षा उनके द्वारा की गयी, जिसमें साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि मुल्जिम ने उससे कभी भी दहेज में मोटरसाइकिल व किसी वस्तु की मांग नहीं की थी। पूजा ने उसे कभी यह बात नहीं बतायी थी कि उसके पति, सास व ससुर अतिरिक्त दहेज में मोटरसाइकिल की मांग करते हुए उसे मारपीटकर परेशान व प्रताड़ित करते हों। पूजा ने अपने पति, सास व ससुर से कभी कोई शिकायत उससे नहीं की। कथन धारा 161 दं०प्र०सं० के संबंध में कहा गया है कि ऐसा कोई बयान सी०ओ० साहब को नहीं दिया था। प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि मेरी पुत्री की मृत्यु की सूचना मेरे दामाद ने मुझे फोन से दी थी। मेरी पुत्री पूजा शादी के बाद मेरे घर दो–तीन बार आयी गयी। उसने कोई शिकायत अपनी ससुराल वालों की मुझसे नहीं की। पूजा अपने पति, सास व ससुर के साथ राजीखुशी से अपनी ससुराल में रहती थी।

30– पी०डबलू०–02 मंगरे, जोकि मृतका का भाई है, उसके द्वारा कथन किया गया है कि उसकी बहन पूजा की शादी जून, 2019 में सोनू उर्फ राजकिशोर के साथ बिना दान–दहेज के हुयी थी। मुल्जिमान ने अतिरिक्त दहेज में मोटरसाइकिल की मांग नहीं की थी और न ही दहेज के लिए मेरी बहन को प्रताड़ित व परेशान ही किया। पूजा के पेट में भयंकर दर्द हुआ करता था। डॉक्टर ने उसके पेट में कोई खराबी बतायी थी और यह बताया था कि उसको बच्चे पैदा करने में दिक्कत होगी। पूजा मानसिक तनाव व उलझन में थी। इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया एवं अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षा की गयी। प्रतिपरीक्षा में साक्षी द्वारा कहा गया कि पूजा से मेरी बात फोन पर उसकी मृत्यु से एक दिन पहले हुई थी। तब उसने मुझे यह नहीं बताया था कि उसके पति, सास व ससुर दहेज में मोटरसाइकिल की मांग कर रहे हैं। उसने मुझसे अपने पति व सास–ससुर की कोई शिकायत कभी नहीं की। पूजा ने कभी यह नहीं बताया कि उसके पति, सास व ससुर मोटरसाइकिल की मांग करते हुए उसे मारपीटकर प्रताड़ित व परेशान कर रहे हैं। मेरे सामने उसके पिता से भी मुल्जिमान ने कभी भी दहेज की मांग नहीं की।

31– पी०डब्लू०–03 रामसरन द्वारा मृका की शादी अभियुक्त राजकिशोर उर्फ सोनू के साथ बिना दान दहेज के करवाना कहा गया है तथा कथन किया गया है कि वह इस शादी का मध्यस्थ था तथा शादी बिना दान दहेज के करवायी थी।

32– पी०डब्लू०–04 रामेन्द्र कुमार, शादी कराने वाला पण्डित है। जिसके द्वारा कहा गया है कि शादी में कोई लड़ाई झगड़ा दोनों पक्षों के मध्य नहीं हुआ था। शादी हंसी खुशी से हुई थी।

33– पी०डब्लू०–06 सुधा, मृतका की बहन है। इस साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि मुल्जिमान ने दहेज में मोटरसाइकिल की माँग शादी के समय नहीं की थी न ही दहेज की माँग शादी के बाद की थी। मृतका को उसके पति, सास व ससुर ने दहेज के कारण मारपीटकर, प्रताड़ित व परेशान नहीं किया। पूजा के पेट में दर्द शादी के पहले से होता था। इसी दर्द से परेशान होकर पूजा ने स्वयं फांसी लगाकर आत्म हत्या कर ली। साक्षी पी०डब्लू०–06 को पक्षद्रोही घोषित करते हुए विस्तृत प्रतिपरीक्षा की गयी। किन्तु इस साक्षी द्वारा भी अभियोजन द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में यही कथन किया गया है कि मृतका के साथ अभियुक्तगण द्वारा अतिरिक्त दहेज में मोटरसाइकिल की मांग कभी नहीं की गयी।

34– पी०डब्लू०–07 दिनेश, जोकि मृतका का चाचा है। इस साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि मेरी भतीजी पूजा की शादी राजकिशोर उर्फ सोनू के साथ सन 2019 में बिना दान–दहेज के हुयी थी। राजकिशोर उर्फ सोनू व उसके माता–पिता ने अतिरिक्त दहेज में मोटरसाइकिल की माँग नहीं की थी और न ही मुल्जिमान ने पूजा को मारपीटकर प्रताड़ित व परेशान ही किया। पूजा पेट दर्द से परेशान रहती थी। डॉक्टर ने उसके बच्चेदानी में कोई खराबी बतायी थी। इसी वजह से पूजा ने स्वयं फाँसी लगाकर आत्महत्या कर ली। साक्षी पी०डब्लू०–07 को पक्षद्रोही घोषित करते हुए विस्तृत प्रतिपरीक्षा की गयी। किन्तु इस साक्षी द्वारा भी अभियोजन द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में यही कथन किया गया है कि मृतका ने उसे यह नहीं बताया था कि अभियुक्तगण द्वारा अतिरिक्त दहेज में मोटरसाइकिल की मांग की जा रही है।

35– उपरोक्त तथ्य के साक्षीगण के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण द्वारा मृतका से अतिरिक्त दहेज में मोटरसाइकिल की मांग नहीं की गयी और न ही दहेज की मांग को लेकर उसे कभी प्रताड़ित किया गया।

36– साक्षीगण पी०डबलू०–1, 2, 3, 6, 7 के साक्ष्य से स्पष्ट है कि इन साक्षीगण द्वारा अपने साक्ष्य में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया और यह सभी सक्षी पक्षद्रोही साक्षी हैं और अपने साक्ष्य में विवेचक को धारा 161 दं०प्र०सं० के अंतर्गत दिए गए बयान से पूर्णतया इन्कार किया गया है। दहेज मृत्यु के मामले में मृतका के मायके के साक्षी महत्वपूर्ण व सुसंगत साक्षी हैं। स्वाभाविक रूप से विवाहिता स्त्री ससुराल पक्ष द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित किए जाने पर अपने मायके वालों को इसकी जानकारी देती है, किन्तु प्रस्तुत प्रकरण में उपरोक्त साक्ष्य के अनुसार मृतका ने अपने घरवालों को कभी भी यह नहीं बताया कि अभियुक्तगण उससे दहेज की मांग करते हैं या उक्त मांग को लेकर उसको प्रताड़ित करते थे। उपरोक्त साक्षीगण ने कथन किया कि अभियुक्तगण द्वारा कभी भी दहेज की मांग नहीं की गयी है।

37– अभियोजन पक्ष की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि साक्षी पक्षद्रोही घोषित है, लेकिन उनका साक्ष्य इस आधर पर तिरष्कृत नहीं किया जा सकता है। **माननीय उच्चतम नयायालय द्वारा राधेमोहन सिंह उर्फ लल्लू सिंह व अन्य बनाम उ०प्र०सं० राज्य 2006(2)ए०एल०जे० 242 (एस०सी०)** में यह अवधारित किया गया है कि पक्षद्रोही साक्षी का साक्ष्य इस आधार पर पूर्णतया अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित करते हुए प्रतिपरीक्षा की गयी, परन्तु सर्वप्रथम समीक्षा से उसका साक्ष्य उस सीमा तक स्वीकार किया जा सकता है, जहां तक वह विश्वसनीय हो। किन्तु प्रस्तुत मामले में मृतका के परिवार के सदस्य व शादी के मध्यस्थ व पण्डित के साक्ष्य पूर्णतया पक्षद्रोही है, उनके साक्ष्य से किसी भी भांति से अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं होता है।

38– अब विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या मृतका की मृत्यु सामान्य से भिन्न परिस्थितियों में हुई है? अभियुक्तगण के विरूद्ध दिनांक 28.08.2019 को उनके सामान्य आशय के अग्रसरण में मृतका को फांसी पर लटकार उसकी हत्या कारित करने के लिए धारा 302 सपठित धारा 34 भा०दं०सं० का वैकल्पिक आरोप भी विरचित किया गया है। जहां तक मृतका की मृत्यु सामान्य से भिन्न परिस्थिति में होने के कारण अभियोजन कथानक साबित होने का अभियोजन का तर्क है। इस संबंध में पी०डब्लू०–08 चिकित्सक का साक्ष्य अत्यंत महत्वपूर्ण और विचारणीय प्रश्न है। चिकित्सक पी०डब्लू०–08 अमित कुमार द्वारा अपने बयान में शव विच्छेदन आख्या प्रदर्श क–02 को साबित किया गया है तथा कथन किया गया है कि उनके द्वारा मृतका का शव–विच्छेदन उसी दिन 03.55 pm से प्रारम्भ करके 04.30 pm पर डॉ० श्याम सिंह की मौजूदगी में समाप्त किया गया था। मृतका के शरीर पर निम्न चोटें पायी थीं–

1. An oblique ligature mark 28cm x 2.5cm present all around the neck above thyroid cartilage in front of neck passing obliquely upwards and backwards along the line of mandible and it is interrupted by 2cm posterolateral aspect of left side of neck. Ligature mark situated 3cm below left ear and 6cm below right ear. Base of groove underneath ligature mark is yellow in hard and parchment like.

   On opening subcutaneous tissue underneath the ligature mark are white, hard and glistening dry stain of saliva mark present on right angle of mouth.

2. Contusion 2cm x 2.5cm present on left leg 5cm below left knee joint.
3. Contusion 2cm x 1.5cm present on left leg 3cm below injury no. 2.
4. Contusion 3cm x 2.5cm present on front of abdomen 3cm lateral to umbilicus.
5. Contusion 3cm x 2.5cm present on right leg 6cm below right knee joint.

मृत्यु का संभावित समय शव विच्छेदन से लगभग आधा दिन का था। मृत्यु का तत्कालिक कारण श्वासावरोध (Asphyxia) था, जो Antimortem hanging के कारण था। मृतका के शरीर पर आयी चोटें मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी।

प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया गया कि जब कोई व्यक्ति फांसी पर लटकता होगा तो वह कुछ समय के लिए छटपटता होगा तथा बचने के लिए हाथ पैर चलता होगा। छटपटाने से आसपास रखे बक्से या लोहे की टंकी आदि से टकराने से चोट नं० 2 व 3 का आना संभाव है।

39– उपरोक्त साक्षी के साक्ष्य से स्पष्ट है कि मृतका की मृत्यु Antimortem hanging के कारण श्वासावरोध के कारण हुई है। साक्षी पी०डब्लू०–08 द्वारा कहा गया है कि मृतका के शरीर पर पायी गयी चोट नं० 2 व 3 नीलगू निशान छटपटाने से आसपास रखे बक्से या लोहे की टंकी आदि से टकराने से आना संभव है। वादी मुकदमा द्वारा अभियोजन पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में कहा गया है कि पूजा के शव पर पैर व पेट में चोट के निशान मौजूद थे। मैंने वह कमरा भी देखा था, जिस कमरे में पूजा लटकी थी। वहां पर पूजा लटकी थी, वहां एक बड़ा बक्सा दक्षिण तरफ रखा था। फांसी पर लटकने वाले स्थान पर ही एक लोहे की टंकी तथा एक बेड भी मौजूद था।

40– विवेचक द्वारा दौरान विवेचना घटनास्थल का नक्शा नजरी प्रदर्श क–06 तैयार किया गया। नक्शा नजरी प्रदर्श क–06 में X अक्षर से वह स्थान जहां पर मृतका छत में लगे कुण्डे से साड़ी के फंदे पर लटकी होना दर्शाया गया है तथा A चिन्ह से बड़ा बाक्स, B चिन्ह से लोहे की टंकी, जिसमें अनाज रखा जाता है। C चिन्ह बेड एवं D चिन्ह बड़ा बाक्स दर्शाया गया है, जिससे प्रतिरक्षा के इस तर्क को बल मिलता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका के शव पर पायी गयी चोट सं०–01, जोकि फांसी पर लटकने से आना संभव थी, के अतिरिक्त पायी गयीं अन्य चोटे सं०–02 ता 05 छटपटाने से आसपास रखे बक्से या लोहे की टंकी आदि से टकराने से आना संभव है। उपरोक्त साक्ष्य से स्पष्ट है कि मृतका की मृत्यु फांसी पर लटकने से श्वासावरोध (Asphyxia) के कारण हुई थी, जो Antimortem hanging के कारण हुई थी। मृत्यु पूर्व ऐसी कोई चोट मृतका के शरीर पर नहीं पायी गयी, जो मृत्यु से पूर्व प्रताड़ना की श्रेणी में आती हो।

41– उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि पत्रावली पर इस तथ्य का कोई साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्तगण ने कभी मृतका से दहेज में मोटरसाइकिल की मांग की या उसे लेकर मृतका को प्रताड़ित किया और दहेज की यह मांग की प्रताड़ना, मृतका के मृत्यु से कुछ समय पूर्व या शीघ्र पहले तक जारी रही। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 113 बी के अंतर्गत उपधारणा का प्रभाव यह होता है कि मामले को सिद्ध करने का भार अभियुक्त पर आ जाता है। वह सिद्ध करे कि उसके द्वारा दहेज मृत्यु कारित नहीं की गयी। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विवेचन से यह सिद्ध नहीं होता है कि मृतका को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया गया और उसकी मृत्यु से शीघ्र पहले तक दहेज की मांग को लेकर उसके प्रति क्रूरता और प्रताड़ना का व्यवहार जारी रहा। अतः न्यायालय के समक्ष यह उपधारणा करने का कोई आधार नहीं है कि अभियुक्तगण द्वारा

मृतका की दहेज मृत्यु कारित की गयी है। उसका प्रभाव यह होता है कि अभियुक्तगण पर अपनी निर्दोषित साबित करने का भार नहीं रह जाता अपितु अपने कथानक को सिद्ध करने के लिए भार अभियोजन पक्ष पर बना रहता है।

42— अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 304 बी के विकल्प में धारा 302 सपठित धारा 34 भा० दं० सं० का भी अरोप विरचित किया गया है। निश्चित रूप से उक्त आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने का पूर्ण दायित्व अभियोजन पर है। अभियोजन साक्षीगण पी०डब्लू०—01, 02, 03, 06 ने अपने साक्ष्य में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है तथा पत्रावली पर उपलब्ध शव विच्छेदन आख्या से मृतका की मृत्यु फांसी पर लटकने से श्वासारोध के कारण हुई है तथा मृतका को अभियुक्तगण द्वारा फंसी पर लटकाया गया, इस संबंध में कोई सुदृढ़ साक्ष्य अभियोज पक्ष द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

43— अभियुक्तगण द्वारा अपने कथन 313 दं०प्र०सं० में कहा गया है कि वे निर्दोष हैं। साक्षीगण पी०डब्लू०—01 लगायत पी०डब्लू०—07 द्वारा कथन किया गया है कि मृतका की शादी के पहले से ही वह पेट दर्द से परेशान रहती थी और उसका इलाज वादी मुकदमा ने करवाया था। शादी के बाद भी उसके पेट में भयंकर दर्द होता था। उसकी ससुरालवालों ने डाक्टर को दिखाया था। डाक्टर ने पूजा की बच्चेदानी में खराबी बतायी थी। बच्चेदानी की खराबी व पेट दर्द से परेशान होने के कारण मानसिक तनाव व उलझन से मृतका ने अपनी ससुराल में स्वयं फांसी लगाकर आत्म हत्या कर ली थी।

44— पत्रावली पर इस आचरण का कोई साक्ष्य नहीं है कि दहेज या किसी संपत्ति की मांग को पूरा करने के लिए मृतका को शारीरिक व मानसिक रूप से अभियुक्तगण द्वारा प्रताड़ित किया गया हो। अतः धारा 498 ए भा०दं०सं० व धारा ¾ दहेज प्रति०अधि० के प्रावधान भी प्रस्तुत प्रकरण में लागू नहीं होते हैं तथा धारा 113A भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत भी उपधारणा किए जाने का कोई आधार नहीं है, क्योंकि मृतका को आत्म हत्या करने के लिए अभियुक्तगण द्वारा उत्प्रेरित करने के संबंध में भी कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है।

45— उपरोक्त समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों के विश्लेषण से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अभियोजन पक्ष ऐसा कोई सुदृढ़ साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका, जिसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि अभियुक्तगण द्वारा दहेज में मोटरसाइकिल की मांग को लेकर मृतका के साथ क्रूरता तथा प्रताड़ना का व्यवहार किया जाता था और यह व्यवहार उसकी मृत्यु से कुछ पूर्व तक जारी रहा। मृतका अथवा उसके परिजनों से दहेज की मांग किए जाने के संबंध में कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। मृतका को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाना, उसको मारने पीटने या फांसी पर लटका देने का कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है तथा पत्रावली पर ऐसा कोई प्रत्यक्ष अथवा परिस्थितिजन्य साक्ष्य नहीं है, जिससे यह अनुमान निकाला जा सके कि अभियुक्तगण द्वारा मृतका की फांसी लगाकर हत्या की गयी हो एवं अभियोन पक्ष अभियुक्तगण नरेश, राज किशोर उर्फ सोनू एवं श्रीमती निर्मला के विरूद्ध आरोपित आरोप अंतर्गत धारा 498 ए, 304 बी भा०दं०सं० विकल्प में धारा 302

सपठित धारा 34 भा०दं०सं० व धारा 4 दहेज प्रति० अधि० को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है।

46– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि मामले के वादी मुकदमा/अभियोजन साक्षी सं०–01 धनीराम द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखायी गयी है, लेकिन दौरान विचारण उसके द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है, जिससे उसे अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया यह दर्शित होता है कि वादी मुकदमा द्वारा मिथ्या प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है/मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है, जिसके लिए उसके विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 344 (धारा 383 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) के अधीन कार्यवाही किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

सत्र परीक्षण संख्या–393/2019, मुकदमा अपराध संख्या–579/2019, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम नरेश आदि में अभियुक्तगण नरेश, राज किशोर उर्फ सोनू एवं श्रीमती निर्मला को धारा–498ए, 304बी भा०दं०सं० व विकल्प में धारा–302 सपठित धारा–34 भा०दं०सं० व धारा–4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के आरोपों से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण जमानत पर हैं तथा उपस्थित हैं। अभियुक्तगण के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं जमानतनामे निरस्त किये जाते हैं तथा जमानतदारों को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्तगण धारा–481 बी०एन०एस०एस० के अन्तर्गत मुव० 20,000/– रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि के दो–दो प्रतिभू एक सप्ताह के अन्दर दाखिल करना सुनिश्चित करें।

प्रकरण से संबंधित वस्तु प्रदर्श, यदि कोई हो तो उसे अपील के अवधि तक तथा अपील होने की दशा में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार सुरक्षित रखा जाये।

वादी मुकदमा/अभियजोन साक्षी सं०–01 धनीराम के विरूद्ध पृथक से प्रकीर्ण वाद अन्तर्गत धारा 383 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन दर्ज हो तथा साक्षी/अभियोगी के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस जारी हो। प्रकीर्ण वाद की पत्रावली 15.04.2026 को सुनवाई हेतु पेश हो।

(रीता कौशिक)

दिनांकः 31.03.2026 सत्र न्यायाधीश,

हरदोई।

निर्णय एवं आदेश आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

(रीता कौशिक)

दिनांकः 31.03.2026 सत्र न्यायाधीश,

हरदोई।